HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8624/2026
CNR: RJHC010605282026
URN: CRLMB / 18673U / 2026

Shaitan Singh S/o Shri Uttam Singh, Aged About 43 Years, R/o Village And Post Sagra Police Station Dechu District Jodhpur (Presently Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8646/2026
CNR: RJHC010607962026
URN: CRLMB / 18736U / 2026

Shaitan Singh S/o Shri Uttam Singh, Aged About 43 Years, R/o Village And Post Sagra Police Station Deachu District Jodhpur (Raj.)(Presently Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8647/2026
CNR: RJHC010605342026
URN: CRLMB / 18737U / 2026

Shaitan Singh S/o Shri Uttam Singh, Aged About 43 Years, R/o Village And Post Sagra Police Station Dechu District Jodhpur (Raj.)(Presently Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8648/2026
CNR: RJHC010607972026
URN: CRLMB / 18740U / 2026

Saitan Singh S/o Shri Uttam Singh, Aged About 43 Years, R/o Village And Post Sagra Police Station Dechu District Jodhpur (Raj.) (Presently Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8649/2026
CNR: RJHC010605452026
URN: CRLMB / 18741U / 2026

Saitan Singh S/o Shri Uttam Singh, Aged About 43 Years, R/o Village And Post Sagra Police Station Dechu District Jodhpur (Raj.)(Presently Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Gulab Singh Bhati
For Respondent(s) : Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

22/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त देवी सिंह की ओर से जमानत के पृथक–पृथक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. (439 सीआर.पी.सी.) में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैंः–

क्रम संख्या	जमानत आवेदन पत्र संख्या	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	पुलिस थाना	अपराध अन्तर्गत धारा
01.	8624/2026	271/2020	गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	420, 409 IPC
02.	8646/2026	274/2020	गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	420, 409 IPC
03.	8647/2026	314/2020	गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	420, 409 IPC
04.	8648/2026	323/2020	राजनगर, राजसमंद	420, 406, 120बी IPC
05.	8649/2026	312/2020	गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	420, 409 IPC

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/19, पुलिस थाना एस.ओ.जी. जयपुर में संजीवनी क्रेडिट को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के संबंध में दर्ज की गई थी, जिसमें एस.ओ.जी., जयपुर द्वारा राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड से संबंधित खातों, ऋण खातों और निवेशकों के खातों के संबंध में विस्तृत जांच कर चालान अलग से पेश किया गया था, जिस प्रकरण में सहअभियुक्त की जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Criminal Appeal No.....2024 (arising out of SLP (Cr.) No. 12198 of 2024 Devi Singh Vs. State of Rajasthan & Anr. order Dated 17-12-2024 में प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक **19.09.2019** से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में होने को ध्यान में रखते हुए जमानत पर रिहा किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की गई थी।

प्रार्थी–अभियुक्त को माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा सहअभियुक्तगण की जमानत के आधार पर व अन्य आधारों पर इस न्यायालय की जयपुर बैंच की एकल पीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 15138/2025, आदेश दिनांक 30.01.2026 से जमानत पर रिहा किया गया व विभिन्न शर्तें अधिरोपित की गई, इस कारण से उस आदेश के अनुरूप प्रार्थी–अभियुक्त के भागने का कतई अंदेशा नहीं है और विदेश चले जाने की भी संभावना नहीं है। आदेश के मुताबिक मोबाइल फोन नम्बर एस.ओ.जी. के पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

04. हस्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट उन व्यक्तियों द्वारा दर्ज करवाई गई, जिनके द्वारा संजीवनी क्रेडिट को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में निवेश किया गया था। उनके निवेश का भुगतान 1 जून 2019 के बाद नहीं होने के कारण ही मुस्तगीसगण की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जबकि एस.ओ.जी. जयपुर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/2019 की चार्जशीट की प्रति पेश कर बताया कि प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 13.05.2014 से दिनांक 12.06.2016 तक चेयरमैन के रूप में संजीवनी क्रेडिट को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में पदस्थापित होना पाया गया था। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी–अभियुक्त मात्र सहअभियुक्त विक्रम सिंह का कर्मचारी था। जिसे डमी चेयरमैन, विक्रम सिंह द्वारा बनाया गया था। एस.ओ.जी. की चार्जशीट के मुताबिक प्रार्थी–अभियुक्त लोन कमेटी का सदस्य नहीं रहा है प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की गडबड़ी नहीं की गई। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा संजीवनी क्रेडिट को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध केवल 2014 से 2016 के मध्य चेयरमैन होने के आधार पर षड़यंत्रकारी के रूप में मुल्जिम बनाया गया है।

05. जब मुख्य प्रकरण में इस न्यायालय की जयपुर बैंच की एकल पीठ से जमानत हो चुकी है, उस अवस्था में उसके पश्चातवर्ती मुकदमों में मुस्तगीसगण के भुगतान नहीं होने के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को इस मामले में संलिप्त माना गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त को निवेशकों द्वारा दर्ज भिन्न–भिन्न मुकदमों में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किये गये हैं। जिनमें से तीन प्रकरण एकल पीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन पत्र क्रमांक क्रमशः 5912/2026, 5885/2026, 5905/2026 में इस न्यायालय की जयपुर पीठ के अलग–अलग आदेश दिनांक 30.06.2026 के द्वारा व अन्य 09 प्रकरण एकल पीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन पत्र क्रमांक क्रमशः 5897/2026, 5873/2026, 5880/2026, 5891/2026, 5893/2026, 5896/2026, 5910/2026, 5914/2026, 5917/2026 में इस न्यायालय की जयपुर पीठ के संयुक्त आदेश दिनांक 08.07.2026 के द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

06. हस्तगत सभी प्रकरण उसी प्रकृति के हैं एवं प्रार्थी–अभियुक्त पिछले साढ़े चार साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। समस्त प्रकरणों के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर उपर्युक्त सभी प्रकरणों में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

07. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्रों को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

08. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय के S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application Nos. 3872/2026, 3876/2026, 3878/2026, 3880/2026 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2026 पर विचार किया गया। हस्तगत प्रकरणों में भी चालान पेश हो चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना है। एस.ओ.जी., जयपुर द्वारा पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/19 में प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या 28 दिनांकित 11.12.2019 में जो विस्तृत विवेचन किया गया है, उस पर विचार किया गया। जिसके मुताबिक संजीवनी क्रेडिट को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के प्रबंध से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची में प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 13.05.2014 से 12.06.2026 के मध्य चेयरमैन होना बताया गया है। जो लोन कमटियों की सूची एस.ओ.जी, जयपुर की चार्जशीट में अंकित की गई है, एस.ओ.जी. की चार्जशीट के मुताबिक प्रार्थी–अभियुक्त लोन कमेटी का सदस्य नहीं होना बताया गया है, इन समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से इन प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। जयपुर पीठ द्वारा समान प्रकृति के कुल 12 प्रकरणों में प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक 30.06.2026 व 08.07.2026 को जमानत का लाभ दिया जा चुका है तथा एस.ओ.जी. जयपुर द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/2019 में दिनांक 30.01.2026 के आदेशानुसार जमानत का लाभ दिया जा चुका है।

09. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त सभी जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **शैतानसिंह पुत्र उत्तमसिंह** उपर्युक्त समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामलों में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालयों के

संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे उपर्युक्त सभी प्रकरणों में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

59-63-/Mayank Rankawat/629